न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 65/2021

प्रार्थी :– शम्भूसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम जैतीवास, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. गंगासिंह पुत्र श्री सवाईसिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम जैतीवास, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा।
3. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय बिलाडा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः– प्रार्थी की ओर से श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता
अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
अप्रार्थी संख्या 2 सरकारी पैरोकार।

:: **आदेश** :: **दिनांक** :– 10/4/2023

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम जैतीवास, तहील बिलाडा की सरहद में खसरा नम्बर 986/2 रकबा 0.5339 हैक्टेयर किस्मा बारानी तृतीय स्थित है। उक्त खसरे की भूमि प्रार्थी की खातेदारी की कब्जासुदा है प्रार्थी के नाम बतौर खातेदारी के रूप में दर्ज है। उक्त खसरे की भूमि के पूर्व दिशा की तरफ अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1456/986 रकबा 0.8333 हैक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा नही है बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी की खातेदारी की भूमि होने का स्पष्ट पता होने एवं प्रार्थी के द्वारा मना करने के बावजुद अप्रार्थी संख्या 1 ने अभी हाल ही में दिनांक 22.10.2021 को प्रार्थी की जमीन जिसमें लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसमें मार्क ए.बी.सी.डी. करीब एक बीघा भूमि पर जबरन कब्जा कर प्रार्थी की जमीन में अप्रार्थी संख्या 1 एक प्लोट काट कर अन्य लोगो को बैचान कर रहा है जबकि प्रार्थी के पास अपनी भूमि खसरा नम्बर 986/2 रकबा 0.5339 हैक्टेयर से एक इन्च ज्यादा भूमि नही है बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी की भूमि पर मार्क ए.बी.सी.डी. स्थान पर करीब एक बीघा यानि 0.1618 हैक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा कर प्रार्थी की भूमि रेकर्ड से कम कर दी है। जबकि प्रार्थी के पास एक

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

इन्च भी रेकर्ड से ज्यादा भूमि नही है। अप्रार्थी संख 1 को प्रार्थी ने व उसके परिवार के सदस्यों ने ऐसा करने से मना किया मगर बावजुद अप्रार्थी नही माना है एवं प्रार्थी को एलानिया तौर पर धमकिया दी कि यदि भूमि के नजदीक भी आ गये जान से मार देंगे। चूकि अप्रार्थी संख्या 1 बडे ही बदमाश प्रवृति का व झगड़ालु प्रवृति का व्यक्ति है। जिससे गांव में आम लोग डरते है। इस कारण प्रार्थी को वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई उपाय नही है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी की होने एवं प्रार्थी के पास रेकर्ड से एक इन्च भी ज्यादा भूमि नही है तथा प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष के मे है चूकि अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी की खातेदारी की भूमि से बेदखल नही किया एवं जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द नही किया गया एवं प्रार्थी की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 य उसके परिवार का कोई भी सदस्य जबरन हमेशा हमेशा के लिए काबिज हो गये एवं अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्लोटो के रूप में अन्यों को बैचान कर दी तो प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि से हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है चूकि प्रार्थी की जमीन खसरा नम्बर 986/2 के पूर्वी दिशा की तरफ मार्क ए.बी.सी.डी. भू भाग पडा है बावजुद अप्रार्थी संख्या 1 लाठियों के बल पर अपनी भूमि को कम बता कर प्रार्थी की भूमि का बैचान कर दिया तो प्रार्थी अपनी भूमि से हमेशा के लिए वंचित हो जायेगा, जिससे प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। जिसका मूल्यांकन रूपयों में संभव नही है।

अन्त में निवेदन किया कि मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे कि ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 986/2 रकबा 0.5339 हैक्टेयर पर अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थी की भूमि के पूर्व दिशा की तरफ संलग्न नजरी नक्शे में मार्क ए.बी.सी.डी. भूमि वापिस प्रार्थी का सुपुर्द करवाई जावे साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी की कब्जासुदा भूमि में न तो स्वयं व न ही अपने नौकर, मजदूर, एजेन्ट आदि के माध्यम से पुनः कब्जा नही करावे तथा अप्रार्थी संख्या 2 को अलग से आदेश जारी कर कब्जा दिलवाया जावे। साथ ही अप्रार्थी संख्या 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या 1 अपनी भूमि खसरा नम्बर 1456/986 का बैचान बाले बाले प्रार्थी की जमीन खसरा नम्बर 986/2 की भूमि का किया जाता है तो उसको बैचान किसी भी सूरत में पंजीयन नही करावे।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए तथा अप्रार्थी संख्या 1 को उपस्थिति हेतु प्रर्याप्त अवसर प्रदान किये गये लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित नही होने पर तारीख पेशी दिनांक 03.08.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी व अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है :—

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति :— प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए मूल रूप से कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 जबरन कब्जा कर रखा है, जिसको बैचान करने पर आमादा है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त कृषि भूमि को अजनबी क्रेता को बैचान, हस्तान्तरण कर देता है तो इससे प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मूल्यों में नही आंका जा सकता। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है क्योकि प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी कब्जाकाश्त की भूमि है तथा अप्रार्थी संख्या 1 जबरन प्रार्थी की भूमि पर मौके पर कब्जा कर उसे बैचान करने पर आमादा है। इसलिए मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त कृषि भूमि कें राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है।

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाडा

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा अप्रार्थी संख्या 1 सें 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो राजस्व ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 986/2 रकबा 0.5339 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1456/986 रकबा 0.8333 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्त पत्रावली मूलवाद के साथ नथी हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 10/4/23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा